न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर
अपील संख्या 34 / 2025

गोपीलाल पुत्र श्री छीतरमल जी, उम्र 80 वर्ष, जाति डाकोत, निवासी कुम्हारिया, वाया बांदनवाडा, तहसील भिनाय, केकडी (मो0 9829273573)

.....अपीलान्ट

बनाम

नरेंद कुमार पुत्र श्री गोपीलाल जी, उम्र 57 वर्ष, जाति डाकोत, निवासी ग्राम कुम्हारिया, वाया बांदनवाडा, तहसील भिनाय, केकडी, हाल निवासी सीनियर सेंकेडरी स्कूल के पीछे बोरूंदा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर (मो0 9571348624)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 24.09.2025 पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी भिनाय) भरण पोषण न्यायाधिकरण भिनाय

आदेश

दिनांक :–06.01.2026

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ अधिकरण पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी भिनाय) के आदेश दिनांक 24.09.2025, जिसमें "प्रार्थी(अपीलान्ट), अप्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) हैं। अपीलार्थी / प्रार्थी व्योवृद्ध व्यक्ति है। प्रार्थी की समस्त अचल संपत्ति को उपहार अभिलेख से अपने नाम अंतरण करवाकर अब अप्रार्थी द्वारा सेवा करने से स्पष्ट मना कर दिया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के समर्थन में पेश दस्तावेजी साक्ष्यो को नजर अन्दाज कर आदेश दिनांक 24.09.2025 को पारित किया गया जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित आये। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर ग्राम कुम्हारिया पटवार क्षेत्र कुम्हारिया भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बान्दनवाडा स्थित अचल सम्पति जमाबंदी संवत् 2072–75 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 94 में दर्ज खसरा संख्या 2216 रकबा 0.48, खसरा संख्या 3835 रकबा 0.08, खसरा सख्या 3836 रकबा 0.18 खसरा संख्या 3837 रकबा 0.39, खसरा संख्या 3838 रकबा 0.05, खसरा संख्या 3840 रकबा 0.73 किता 06 रकबा 1.91 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 694 में दर्ज खसरा संख्या 560 रकबा 0.20 और खसरा संख्या 561 रकबा 0.14 किता 02 रकबा 0.34 हैक्टेयर भूमि तथा ग्राम कुम्हारिया तहसील भिनाय में आवासीय मकान है, जिसका निर्माण प्रार्थी द्वारा अपनी आय से करवाया है। अप्रार्थी नरेन्द्र कुमार प्रार्थी जो सरकारी नौकरी करता है जो वर्तमान में पी0टी0आई0 के पद पर उच्च प्राथमिक विघालय चौकडी कलां

जिला कलक्टर
अजमेर

पंचायत समिति भोपालगढ जोधपुर में लगा हुआ है। अप्रार्थी श्री नरेन्द्र की पत्नी भी सरकारी अध्यापिका है तथा राजकीय कन्या विद्यालय ग्राम बोरूंदा में कार्यरत है, तथा वही मकान बनाकर निवास कर रहे है। अप्रार्थी ने प्रार्थी को विश्वास दिलाया कि प्रार्थी अपनी समस्त चल अचल संपत्ति मकान जमीन अप्रार्थी के नाम उपहार के रूप में अंतरण कर देगा तो वह जीवन पर्यन्त प्रार्थी की सेवा करता रहेगा तथा प्रार्थी के मूल सुख–सुविधा भोजन, आवास, दवा ईलाज और मूल भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करता रहेगा। प्रार्थी द्वारा विश्वास में आकर दिनांक 06.01.2017 को प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त अचल भूमि अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड उपहार विलेख (गिफ्ट डीड) रजिस्टर्ड करवा दी। प्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण अपने नाम करवा लिया तथा रिहायशी मकान का भी अप्रार्थी ने अपने नाम विलेख प्रार्थी से करवा लिया है। कुछ समय तक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की सेवा व सार–संभाल की लेकिन धीरे–धीरे अप्रार्थी द्वारा सेवा करना बंदी कर, प्रार्थी से मारपीट पर उतारू हो गया तथा रिहायशी मकान को छोड़कर चले जाने हेतु प्रार्थी को धमका रहा है। अप्रार्थी अब प्रार्थी की सेवा देने से पूर्णतया विफल हो गया है, तथा सेवा करने से स्पष्ट मना कर दिया है। प्रार्थी 80 वर्षीय बिमार व्यक्ति है। प्रार्थी की समस्त अचल संपत्ति को उपहार अभिलेख से अपने नाम अंतरण करवाकर अब अप्रार्थी की सेवा करने से स्पष्ट मना कर दिया है तथा मूलभूत सुख सुविधा और भौतिक आवश्यकता प्रदान करने में पूर्वतया असफल हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के द्वारा किये गये उपहार विलेख (गिफ्ट डीड) को शून्य, व्यर्थ घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वरिष्ठ नागरिक प्रार्थी के मकान व प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का अप्रार्थी के हक में किया गया उपहार विलेख (गिफ्ट डीड) को शून्य, व्यर्थ घोषित किया जाकर उक्त समस्त संपत्ति पुनः प्रार्थी के नाम पुनर्स्थापित किये जाने के आदेश प्रदान करे। माता–पिता व वरिष्ठ नागारिकों के कल्याण व सुरक्षा हेतु वर्ष 2007 में विशेष अधिनियम पारित किया अधिनियम की धारा 23 के तहत यह प्रावधान पारित किया कि कोई भी पुत्र पुत्री या रिश्तेदार उक्त व्यक्ति वृद्धावस्था में सेवा करने व मूलभूत सुविधाओं भौतिक आवश्यकता उक्त व्यक्ति वृद्धावस्था में सेवा करने व मूलभूत सुविधाओं भौतिक आवश्कता पूरी करने का आश्वासन देकर कोई संपत्ति, रूपये अंतरित करता है बाद में अंतरिती ऐसे सुख सुविधाएं एवं भौतिक आवश्कताएं प्रदान करने में असफल होता है या मना कर देता है तो संपत्ति का उक्त अंतरण कपट व छल द्वारा एवं अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया हुआ माना जावेगा और अंतरिती (आश्वासन देने वाले) के विरूद्व व निवेदन पर उक्त अंतरण को अधिकरण द्वारा व्यर्थ शून्य घोषित किया जावेगा इस धारा में Shall शब्द काम में लिया है जो बाध्यकारी है उक्त तथ्य पर गौर ना कर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विवादित आदेश पारित किये जो निरस्तनीय है। अपीलार्थी/प्रार्थी के पुत्र नरेन्द्र कुमार ने प्रार्थी को वृद्वावस्था में सेवा करने सुख सुविधा देने, भौतिक आवश्कताए पूरी करने का मौखिक विश्वास दिलाया लेकिन बाद में प्रत्यर्थी ने सेवा सुश्रा करने, सुख सुविधा, भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने से मना कर दिया तथा अपीलार्थी/प्रार्थी के साथ मारपीट करते हुए घर से बेदखल करने का प्रयास किया इस बाबत पुलिस और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी शिकायत भी दी गई। अपीलार्थी/प्रार्थी ने कभी भी कोई भरण पोषण की राशि की मांग की है ना ही कोई मंशी जाहिर की है केवल देखभाल सेवा सुश्रा करने, सुख सुविधा, भौतिक आवश्यकताए प्रदान करने के विश्वास पर दान विलेख निष्पादित किया है उक्त तथ्य पर गौर ना कर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विवादित आदेश

जिला कलक्टर
अजमेर

पारित किया गया है। प्रत्यर्थी का कृत्य वरिष्ठ नागारिक व बुजुर्ग व्यक्ति पिता को सेवा का झूठा आश्वासन देकर संपत्ति हड़प करने का रहा है पूर्व में उसने अपने बुजुर्ग सास–ससुर को भी सेवा का झूठा आश्वासन देकर उनकी सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली तथा सास–ससुर के पुत्र पुत्रियों को भी संपत्ति से वंचित कर दिया उक्त तथ्य पर गौर ना कर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विवादित आदेश पारित किये जो निरस्तनीय है। प्रत्यर्थी ने अपने इकलौती पुत्री यानी अपीलार्थी/प्रार्थी की शादी में भी अपीलार्थी/प्रार्थी को नहीं बुलाया प्रत्यर्थी ने एक दादा को अपनी पोती के विवाह में जानबूझकर नहीं बुलाया तथा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया उक्त तथ्य पर गौर ना कर अधीनस्थ न्यायालय से उक्त विवादित आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी/प्रार्थी हदय घात से पीड़ित होने पर हदय रोग के इलाज हेतु हस्पताल में दिनांक 07.05.2025 से दिनांक 10.05.2025 तक भर्ती रहकर अपना इजाल करवाता रहा तब भी प्रत्यर्थी एक बार भी अपीलार्थी/प्रार्थी के हाल चाल पूछने व सेवा सुश्रा करने नहीं आया उक्त तथ्य पर गोर ना कर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विवादित आदेश पारित किया गया। माननीय हाईकोर्ट, दिल्ली ने भी अपने निर्णय में आदेश दिया है कि दान विलेख को रद्द करने के लिए आवश्यक नहीं है कि दान विलेख में सेवा की शर्त का उल्लेख हो, इसी भांति माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसी भांति के विनिश्चय का निर्णय पारित किया, उक्त तथ्य पर गौर ना कर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विवादित आदेश पारित किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने निर्णय उर्मिला दीक्षित बनाम सुशील सारन दीक्षित व अन्य 2025 I WSC 20 Civil Appeal 10927/2024 में भी वरिष्ठ नागारिको के हित में निर्णय दिया जिसका अवलोकन ना कर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किये जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट भिनाय, जिला अजमेर के निर्णय दिनांक 24.09.2025 को अपास्त करे, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्वयं प्रमाणित उपहार विलेख (गिफ्ट डीड) दिनांक 06.01.2017 को VOID (शून्य)/व्यर्थ घोषित करने के आदेश प्रदान करावे एवं उपहार विलेख (गिफ्ट डीड) में वर्णित समस्त संपत्ति पुनः अपीलार्थी/प्रार्थी के नाम पर पुनः स्थापित किये जाने के आदेश प्रदान करे।

रेस्पोडेन्ट ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस में निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट अपीलांट का एक मात्र जायन्दा विधिक पुत्र/सन्तान है जिस कारण ही प्रार्थी की समस्त प्रकार की सेवा सुश्रुषा की जा रही है समस्त प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारी का वहन रेस्पोडेन्ट स्वयं द्वारा ही किया जा रहा है जिसमें रेस्पोडेन्ट के अतिरिक्त अन्य किसी दीगर व्यक्ति द्वारा अपीलांट की सेवा सुश्रुषा सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारी दायित्व का वहन नहीं किया जा रहा है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के एक मात्र जायन्दा पुत्र होने के कारण सेवा सुश्रुषा करने के कारण रेस्पोडेंट के पक्ष में उप पंजीयक अधिकारी भिनाय जिला अजमेर के कार्यालय में उपस्थित होकर अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में उपहार प्रलेख पत्र अन्तरण अभिलेख बिना कोई लेन देन के किया गया था। उपहार प्रलेख पत्र बिना लोभ लालच के बिना प्रलोभन के अपीलांट द्वारा स्वस्थ चित अपनी मन मर्जी से किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने आज दिवस तक मकान से बाहर निकालने के लिए कभी भी नहीं कहा है। किसी प्रकार का विवाद दोनो पक्ष में उत्पन्न नहीं हुआ है। उक्त उपहार पत्र सिविल प्रकृति का मामला है जो कि सिविल न्यायालय को सुनने का तय करने का निरस्त करने का हक व अधिकार है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

जिला कलक्टर
अजमेर

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। उभय पक्ष द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों एवं प्रकट तथ्यों पर समस्त दृष्टिकोण से विवेचन किया गया। अपीलांट/प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र 442/2024 बउनवान गोपीलाल बनाम नरेन्द्र कुमार के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–23 माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय में दौराने सुनवाई प्रकट हुआ कि अपीलांट श्री गोपीलाल स्वयं शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद से राजकीय सेवा से सेवानिवृत पेशंनधारी है, अधिनियम की धारा 9 (1) के प्रावधानुसार ''यदि सन्तान या नातेदार, यथास्थिति, वरिष्ठ नागरिक का जो स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हैं, भरण–पोषण करने से उपेक्षा करता है या नामंजूर करता है, तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या नामंजूरी से समाधान होने पर, ऐसी सन्तानों या नातेदारों को ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण के लिये ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता, जैस कि अधिकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को भुगतान करने के लिये आदेश दे सकेगा, जैसा कि अधिकरण समय–समय से निर्देश दे।'' चूंकि अपीलांट शिक्षा विभाग से रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है अतः भरण पोषण हेतु अप्रार्थीगण पर निर्भर नहीं हैं। अपीलान्ट द्वारा ऐसे कोई ठोस नये तथ्य, साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जावे। अपील के साथ सलंग्न दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा संलग्न दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त आदेश दिनांक 24.09.2025 पारित किया गया है, जो कि विधि सम्वत् एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 24.09.2025 में हाजा न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2025 यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। रेस्पोडेन्ट को इस आदेश से निर्देशित किया जाता है अपीलांट से किसी प्रकार का लडाई–झगड़ा नहीं करें, व अपने पिता की देखभाल करे, अपीलांट के प्रति अच्छा व्यवहार करे इस आशय की लिखित अण्डर टेकिंग न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी भिनाय हाजा न्यायालयं के आदेश की पालना सुनिश्चित करावें, आदेश की तनिक भी अवहेलना होने पर अधिनियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लावें। अतः अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण, अजमेर